

22/5/19

पमावली पेरा दुई । वकील वादी व स्वयं वादी दाजिर नही ।
बार-बार आवाज लगाई गई । बार-बार आवाज लगाने
पर भी ना तो वकील वादी दाजिर और ना ही स्वयं
वादी दाजिर । अतः दावा-दोषजाब एवं खाई निवेदना
को अदम दाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है ।
पमावली कैलल सुमार होकर नम्वर से कम हो व फकीर
वफत हो । ~~दावा-दोषजाब~~

उपखण्ड अधिकारी
उबयपुरवाठी (दुबरी)